

13/9/2022

पत्रावली पेश हुई। वादी प्रतिवादी अनु.। वादी प्रतिवादी को विधिवत रूप से तीन-तीन बार आवाजे लगाई गई परन्तु कोई उप. नहीं ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी अदम पेशी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होती है। अतः वादी प्रतिवादी के अनु. होने से पत्रावली अदम हाजरी अदम पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली फॉसल्य शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

3
उपस्थित अधिकारी
नवीरगढ़ (सम्भ)

